

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-09/2020- 384 व०प०, राँची, दिनांक-14/02/2022
प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

तकनीकी पदाधिकारी (वानिकी),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
बंगला नं०-A-2, श्यामली कॉलोनी,
डोरण्डा, राँची-834002

विषय :- लिलो 220 के०भी० डी०/सी० टी०टी०पी०एस० गोविन्दपुर से जैनामोड़ ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल-34.739 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्र सं०-FP/JH/TRANS/40558/2019/4697 दिनांक-22.06.2021

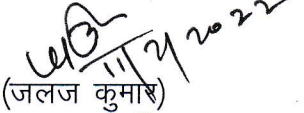
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-20 दिनांक-05.01.2022 से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

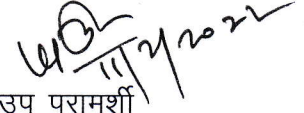
अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

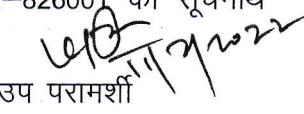
विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी

ज्ञापांक-वन भूमि-09/2020- 384 व०प०, राँची, दिनांक-14/02/2022
प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी

ज्ञापांक-वन भूमि-09/2020- 384 व०प०, राँची, दिनांक-14/02/2022
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/विद्युत कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, ट्रांसमिशन डिवीजन, कैम्पस-E5, बिजली कॉलोनी, हीरापुर, धनबाद-826001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी